न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 26/2024

प्रार्थीगण **बनाम** विप्रार्थीगण

प्रार्थीगण:

1. भीयाराम पुत्र नरींगाराम उम्र 77 वर्ष
2. गिरधारीराम पुत्र वालाराम उम्र 45 वर्ष
3. गोधूराम पुत्र वालाराम उम्र 43 वर्ष
4. मूलाराम पुत्र वालाम्स उम्र 38 वर्ष
5. चौलाराम पुत्र वालाराम उम्र 36 वर्ष
6. उदाराम पुत्र वालाराम उम्र 35 वर्ष
7. ऊमाराम पुत्र वालाराम उम्र 34 वर्ष
8. जमना पत्नि वालाराम उम्र 65 वर्ष

जातियान जाट निवासीयान पनोणियो का तला तहसील सिणधरी

विप्रार्थीगण:

1. तेजाराम पुत्र चिमनाराम उम्र 39 वर्ष
2. पेमाराम पुत्र राजूराम उम्र 70 वर्ष
3. बींजाराम पुत्र टीकमाराम उम्र 62 वर्ष
4. केसाराम पुत्र टीकमाराम उम्र 55 वर्ष
5. सवाईराम पुत्र देवाराम उम्र 60 वर्ष
6. जोगाराम पुत्र देवाराम उम्र 55 वर्ष
7. ठाकराराम पुत्र राणाराम उम्र 35 वर्ष
8. कंवराराम पुत्र राणाराम उम्र 32 वर्ष
9. चेतनराम पुत्र राणाराम उम्र 30 वर्ष

जातियान जाट निवासीयान पनोणियों का तला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर हाल बालोतरा

10. नवलाराम पुत्र गोमदाराम उम्र 65 वर्ष
11. मुकनाराम पुत्र सोनाराम उम्र 75 वर्ष

जातियान जाट निवासीयान सिंधियो की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल,. अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 29.05.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा पनोणियों का तला पटवार मण्डल होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 1296/2 रकबा 3.0014 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1296/3 रकबा 2.6940 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1296

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

रकबा 5.7439 हैक्टेयर अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच वर्तमान में किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा पनोणियों का तला पटवार मण्डल होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 1296/2 रकबा 3.0014 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1296/3 रकबा 2.6940 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1296 रकबा 5.7439 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा पनोणियों का तला पटवार मण्डल होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 1296/2 रकबा 3.0014 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1296/3 रकबा 2.6940 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1296 रकबा 5.7439 हैक्टेयर, भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है एवं सेढ़ो की माठों को खुर्द बुर्द किया जाता रहा है। इस कारण प्रार्थीनी द्वारा मौजा पनोणियों का तला पटवार मण्डल होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 1296/2 रकबा 3.0014 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1296/3 रकबा 2.6940 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1296 रकबा 5.7439 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि मौजा पनोणियों का तला पटवार मण्डल होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 1296/2 रकबा 3.0014 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1296/3 रकबा 2.6940 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1296 रकबा 5.7439 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा पनोणियों का तला पटवार मण्डल होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 1296/2 रकबा 3.0014 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1296/3 रकबा 2.6940 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1296 रकबा 5.7439 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 29.05.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी